161

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

1743
28.5.18

संकल्प

विषयः– झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2018 में शिथिलीकरण के संबंध मे।

दिनांक– 07.02.2018 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली, 2018 के अनुमोदन के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि "राज्य में शिक्षा के बढ़ते हुए अवसरों अर्थात शिक्षण संस्थाओ में विभिन्न पाठ्यक्रमों के उपलब्ध पर्याप्त सीटों के आलोक में राज्य से बाहर शिक्षा प्राप्त करने हेतु मात्र समूह–I एवं II के पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाए।" तदनुसार कल्याण विभागीय संकल्प संख्या–636, दिनांक– 21.02.2018 निर्गत किया गया। इस नियमावली के प्रावधान माह अप्रैल/जुलाई, 2017 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू है।

2. विदित है कि उक्त नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व समूह–III एवं IV में उल्लिखित पाठ्यक्रमों में राज्य के बाहर स्थित संस्थानो में छात्र अध्ययनरत है एवं उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता रहा है। शैक्षणिक सत्र 2017–18 में इन छात्रों की छात्रवृत्ति का नवीकरण किया जाना था जो वर्तमान नियमावली के प्रावधानो के तहत संभव नहीं है।
3. उक्त के आलोक में झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2018 के प्रवृत होने के पूर्व राज्य के बाहर समूह–III एवं IV में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनकी छात्रवृत्ति का नवीकरण शैक्षणिक सत्र 2017–18 में किया जाना था उन्हें पाठ्यक्रम की समाप्ति तक नियमावली के प्रावधानों के तहत छात्रवृत्ति का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया है।
4. तदनुसार विभागीय संकल्प संख्या–636, दिनांक–21.02.2018 के परिशिष्ट–'ख' के समूह–III एवं IV को उक्त सीमा तक शिथिल किया जाता है। संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।
5. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा कल्याण विभागीय संलेख ज्ञापांक– 1520, दिनांक– 08.05.2018 के क्रम में दिनांक– 15.05.2018 की बैठक के मद संख्या– 01 में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

(हिमानी पाण्डे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 04/छात्रवृत्ति(प्र०नियमावली)–12/2017 1743 राँची, दिनांकः– 28.5.18

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव का कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड राँची/सभी उपायुक्त/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

(160)

ज्ञापांकः– 04 / छात्रवृत्ति(प्र०नियमावली)–12 / 2017 1743 राँची, दिनांकः– 28.5.18

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

सरकार के सचिव।